''बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.''



पंजीयन क्रमांक ''छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03.''

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 308] रायपुर, सोमवार, दिनांक 12 दिसम्बर 2005 — अग्रहायण 21, शक 1927

उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति नियोजन तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 दिसम्बर 2005

अधिसूचना

क्रमांक एफ - 1-20/2005/42 . — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतदद्वारा छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा (शिक्षण संवर्ग - पॉलीटेक्निक) में भर्ती के संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

नियम

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ** :

(1) ये नियम "छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा (शिक्षण संवर्ग - पॉलीटेक्निक)" सेवा भर्ती नियम, 2005 कहलायेंगे.

(2) यह राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे.

2. **परिभाषाएं** : इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) सेवा के संबंध में "नियुक्ति प्राधिकारी " से अभिप्रेत है, सरकार ;

(ख) " आयोग " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ;

(ग) " परीक्षा " से अभिप्रेत है, सेवा में भर्ती के लिए इन नियमों के नियम 6 (1) एवं नियम 11 के अधीन प्रतियोगिता परीक्षा ;

(घ) "ए. आई. सी. टी. ई. " से अभिप्रेत है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन एक्ट, 1987 (1987 का सं. 52) के अधीन स्थापित ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजूकेशन ;

(ङ) " सरकार " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ सरकार ;

(च) " अनुसूची " से अभिप्रेत है, इन नियमों से संलग्न अनुसूची ;

(छ) " अनुसूचित जाति " से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति ;

(ज) " अनुसूचित जनजाति " से अभिप्रेत है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन छत्तीसगढ़ राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति ;

(झ) " अन्य पिछड़ा वर्ग " से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना द्वारा घोषित अन्य पिछड़ा वर्ग ;

(ञ) " चयन समिति " से अभिप्रेत है, अनुसूची चार में उल्लेखित चयन समिति ;

(त) " सेवा " से अभिप्रेत है, " छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा (शिक्षण संवर्ग - पॉलीटेक्निक) " सेवा ;

(थ) " राज्य " से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ राज्य.

3. **विस्तार तथा प्रयुक्ति** : छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम 1961 में दिये गये उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम इस सेवा के सदस्य पर लागू होंगे.

4. **सेवा का गठन** : सेवा में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे, अर्थात् :-

(1) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची - एक में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से धारण कर रहे हों ;

(2) वे व्यक्ति, जो इन नियमों को प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्ती किये गये हों ; और

(3) वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार सेवा में भर्ती किये गये हों.

5. **वर्गीकरण, वेतनमान आदि** : सेवा का वर्गीकरण, उससे संलग्न वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या, अनुसूची एक में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसार होगी ;

परन्तु सरकार सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या में समय-समय पर स्थाई या अस्थाई तौर पर वृद्धि या कमी कर सकेगी.

6. **भर्ती का तरीका** :

(1) इन नियमों के लागू होने के पश्चात् सेवा में भर्ती निम्नलिखित तरीकों से की जायेगी, अर्थात् :-

(क) प्रतियोगिता परीक्षा/चयन करके सीधी भर्ती द्वारा,

(ख) छत्तीसगढ़ तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा (शिक्षण संवर्ग - पॉलीटेक्निक) की अनुसूची-चार के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट सेवा में पहले से ही नियुक्त सदस्यों की पदोन्नति द्वारा,

(ग) ऐसे व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा जो ऐसी सेवा में अनुसूची - दो में विनिर्दिष्ट ऐसे पद मूल रूप से धारण करते हों.

(2) उपनियम - 1 के खण्ड (ख) तथा (ग) के अधीन भर्ती किये गये व्यक्तियों की संख्या, अनुसूची एक में यथा विनिर्दिष्ट पदों की संख्या के अनुसूची दो में दर्शाये गये पदों के प्रतिशत से किसी भी समय अधिक नहीं होगी.

(3) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, सरकार की राय में सेवा की आवश्यकताओं को देखते हुए आवश्यक होने पर सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति से सेवा में भर्ती - संबंधी उन तरीकों को छोड़ जिनका उक्त उपनियम में उल्लेख किया गया है, ऐसे अन्य तरीके अपना सकेगी जो सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेश द्वारा निर्धारित किये जायें.

(4) इन नियमों के उपबंधों के अधीन भर्ती की किसी भी विशेष अवधि के दौरान भरे जाने के लिये अपेक्षित सेवा के किसी भी विशेष पद या पदों को भरने के प्रयोजन के लिए अपनाया जाने वाला भर्ती का तरीका या तरीके तथा इन तरीकों द्वारा भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या प्रत्येक अवसर पर शासन द्वारा आयोग के परामर्श से निश्चित की जायेगी.

(5) भर्ती करते समय छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये आरक्षण) नियम, 1994 के प्रावधान तथा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी निर्देश लागू होंगे.

7. **सेवा में नियुक्ति :** इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा में समस्त नियुक्तियाँ सरकार करेगी और ऐसी नियुक्तियाँ नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्ती के तरीकों द्वारा चयन करने के पश्चात् ही की जायेगी, अन्यथा नहीं.

8. **सीधी भर्ती के लिये पात्रता की शर्तें :** परीक्षा में स्पर्धा करने/चयन किये जाने के लिये पात्र होने के लिये अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्तें पूरी करनी होगी, अर्थात् :-

(1) **आयु :**

(क) उसने परीक्षा/चयन प्रारम्भ होने की तारीख की ठीक आगामी जनवरी के प्रथम दिन को अनुसूची - तीन के कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो, तथा उक्त अनुसूची के कालम (4) में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त न की हो,

(ख) यदि अभ्यर्थी अनुसूचित जाति, जनजाति या अन्य पिछड़े वर्गों का हो तो उच्चतर आयु सीमा अधिकतम 5 (पाँच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(ग) उन अभ्यर्थियों को जो छत्तीसगढ़ सरकार के कर्मचारी हैं या कर्मचारी रह चुके हों, उनकी उच्चतर आयु सीमा में उनके द्वारा छत्तीसगढ़ सेवा में रहने की अवधि के बराबर परन्तु अधिकतम तीन वर्ष की छूट निम्नलिखित सीमा तक एवं निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा सकेगी :

(एक) ऐसा अभ्यर्थी, जो छत्तीसगढ़ का स्थाई अथवा अस्थायी सरकारी सेवक है, 38 वर्ष से अधिक आयु का नहीं होना चाहिये.

(दो) अस्थाई रूप से पद धारण करने वाले तथा किसी अन्य पद के लिये आवेदन करने वाले अभ्यर्थी की आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये. यही छूट आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले कर्मचारी, कार्यभारित कर्मचारी तथा परियोजना कार्यान्वयन समिति के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारी को भी स्वीकार्य होगी.

(तीन) जो उम्मीदवार छटनी किया गया शासकीय कर्मचारी हो, उसे अपनी आयु में से उसके द्वारा पहले की गई सम्पूर्ण अस्थायी सेवा की अधिक से अधिक 7 (सात) वर्ष तक की अवधि भले ही वह अवधि एक से अधिक बार की गई सेवाओं के कारण हो, कम करने की अनुमति दी जायेगी बशर्ते इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले वह अधिकतम आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण - शब्द " छटनी किये गये शासकीय कर्मचारी " से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो इस राज्य अथवा किसी भी संघटक इकाई की अस्थायी शासकीय सेवा में कम से कम छ : मास तक निरन्तर रहा हो तथा जो रोजगार कार्यालय के अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अथवा आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक तीन वर्ष पूर्व कर्मचारियों की संख्या में कमी किये जाने के कारण सेवामुक्त किया गया हो.

(घ) ऐसे अभ्यर्थी को, जो भूतपूर्व सैनिक हैं, अपनी आयु में से उसके द्वारा पूर्व में की गई सम्पूर्ण प्रतिरक्षा सेवा की कालावधि कम करने के लिये अनुज्ञात किया जाएगा, बशर्ते कि इसके परिणामस्वरूप जो आयु निकले, वह उच्चतर आयु - सीमा से तीन वर्ष से अधिक न हो.

स्पष्टीकरण - शब्द "भूतपूर्व सैनिक " से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है, जो निम्नलिखित प्रवर्गों में से किसी एक प्रवर्ग में रहा हो तथा जो भारत सरकार के अधीन कम से कम छ: माह की अवधि तक निरन्तर सेवा करता रहा हो तथा जिनको किसी भी रोजगार कार्यालय में अपना पंजीयन कराने अथवा शासकीय सेवा में नियुक्ति हेतु अन्यथा, आवेदन-पत्र देने की तारीख से अधिक से अधिक 3 वर्ष पूर्व, मितव्ययिता इकाई की सिफारिशों के फलस्वरूप अथवा कर्मचारियों की संख्या में सामान्य रूप से कमी की जाने के कारण छटनी की गई हो अथवा जो आवश्यक कर्मचारियों की संख्या से अधिक घोषित किया गया हो :-

(एक) ऐसा भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें मस्टरिंग आउट कन्सेशन के अधीन सेवा से मुक्त कर दिया गया हो,

(दो) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें दूसरी बार भर्ती किया गया हो, और जिन्हें :-

(क) अल्पकालीन वचनबंध पूर्ण हो जाने पर

(ख) भर्ती संबंधी शर्तें पूर्ण हो जाने पर, सेवामुक्त कर दिया गया हो.

(तीन) मद्रास सिविल इकाई यूनिट के भूतपूर्व कर्मचारी,

(चार) ऐसे अधिकारी सैनिक तथा असैनिक जिनमें अल्पावधि सेवा के नियमित कमीशन प्राप्त अधिकारी सम्मिलित है जो उनकी संविदा पूर्ण होने पर सेवोन्मुक्त किये गये हों,

(पॉच) ऐसे अधिकारी, जिन्हें अवकाश रिक्तियों के विरुद्ध पर छह माह से अधिक समय तक निरंतर कार्य करने के बाद सेवोन्मुक्त किया गया हो,

(छ :) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें अशक्त होने के कारण सेवा से अलग कर दिया गया हो,

(सात) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें इस आधार पर सेवोन्मुक्त किया गया है कि वे अब दक्ष सैनिक बनने योग्य नहीं रहें,

(आठ) ऐसे भूतपूर्व सैनिक, जिन्हें गोली लग जाने, घाव आदि हो जाने के कारण चिकित्सीय आधार पर सेवा से अलग कर दिया गया हो.

(ङ) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये उच्चतर आयु - सीमा अधिकतम 10 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(च) उन अभ्यर्थियों के संबंध में, जो छत्तीसगढ़ राज्य के निगम/मंडलों के कर्मचारी हैं, उच्चतर आयु - सीमा 38 वर्ष तक शिथिलनीय होगी.

(छ) विधवा, निराश्रित तथा तलाकशुदा महिला अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 55 वर्ष होगी.

(ज) परिवार कल्याण कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रीन कार्ड धारण करने वाले अभ्यर्थियों के संबंध में उच्चतर आयु - सीमा अधिकतम 2 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(झ) अनुसूचित जनजाति तथा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्जातीय विवाह प्रोत्साहन योजना के अधीन पुरस्कृत सवर्ण पति/पत्नी के संबंध में उच्चतर सीमा 5 (पॉंच) वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(ञ) ' विक्रम पुरस्कार धारक ' अभ्यर्थियों के संबंध में सामान्य उच्चतर आयु सीमा 5 वर्ष तक शिथिलनीय होगी,

(ट) स्वयं-सेवी नगर सैनिकों, होम गार्ड तथा होम गार्ड के नान- कमीशन्ड अधिकारियों के मामले में उनके द्वारा की गई सेवा की कालावधि के लिए उच्चतर आयु-सीमा 8 (आठ) वर्ष की सीमा के अध्यधीन रहते हुए शिथिल की जायेगी, किन्तु किसी भी मामले में उनकी आयु 38 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये.

(2) **शैक्षणिक अर्हताएँ** - उसके पास ऐसी शैक्षणिक अर्हताएं होनी चाहिये, जो अनुसूची-तीन, अनुसूची-तीन (क) तथा अनुसूची - तीन (ख) में सेवा के लिए विहित की गई है ;

परन्तु - (क) आपवादिक मामले में, सरकार की सिफारिश पर आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को अर्ह समझ सकेगा, जिसके पास इस खण्ड में निर्धारित अर्हताओं में से कोई अर्हता न हो किन्तु जिसने अन्य संस्थाओं द्वारा संचालित परीक्षा ऐसे स्तर से उत्तीर्ण की हो जिसके कारण आयोग उम्मीदवार को परीक्षा में बैठने/चयन के योग्य समझता हो, और

(ख) आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा में बैठने/चयन के लिए ऐसे उम्मीदवारों के मामलों पर भी विचार कर सकेगा जो अन्यथा अर्ह हों, किन्तु जिन्होने ऐसे विदेशी विश्वविद्यालयों से उपाधियॉं प्राप्त की हों, जो सरकार द्वारा विशिष्ट रूप से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय न हो.

(3) **फीस** - उसे आयोग द्वारा विहित की गई फीस का भुगतान करना होगा.

9. **अनर्हता :** अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिये किन्हीं भी साधनों से समर्थन अभिप्राप्त करने का कोई भी प्रयास, आयोग द्वारा उसके परीक्षा में प्रवेश/चयन के संबंध में अनर्हता के रूप में माना जायेगा.

10. **अभ्यर्थियों की पात्रता के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा :** परीक्षा में बैठने के संबंध में किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता अथवा अन्य बात के संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम होगा तथा आयोग द्वारा ऐसे किसी भी अभ्यर्थी से साक्षात्कार नहीं की जायेगी, जिसे आयोग ने प्रवेश प्रमाण-पत्र जारी न किया हो.

11. **प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा सीधी भर्ती :**

(1) सेवा में भर्ती के लिये प्रतियोगिता परीक्षा ऐसे अंतर से ली जायेगी, जिन्हें शासन समय-समय पर आयोग से परामर्श कर निश्चित करे.

(2) आयोग द्वारा परीक्षा ऐसे आदेशों के अनुसार ली जायेगी जिन्हें समय-समय पर आयोग से परामर्श कर प्रसारित करें.

(3) **चयन द्वारा सीधी भर्ती :**

(क) सेवा में भर्ती के लिये चयन ऐसे अंतरालों से किया जायेगा, जैसा कि सरकार आयोग के परामर्श से समय-समय पर अवधारित करें.

(ख) सेवा के लिये अभ्यर्थियों का चयन (लिखित परीक्षा और/साक्षात्कार की प्रक्रिया द्वारा), आयोग द्वारा उनके साक्षात्कार के पश्चात् किया जाएगा.

(ग) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (क्रमांक 21 सन् 1994) के प्रावधानों और सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिये पद आरक्षित किये जायेंगे.

(घ) इस प्रकार रक्षित रिक्त सीटों को भरते समय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों की सूची पर विचार नियम 12 में निर्दिष्ट सूची में आये उनके नामों के क्रम के अनुसार किया जायेगा चाहे अन्य उम्मीदवारों की तुलना में उनका सापेक्षित स्थान कुछ भी क्यों न हो.

(ङ) प्रशासन की दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए सेवा में नियुक्ति के लिये चयन समिति द्वारा चुने गये अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थी, उप नियम (3) के उपबंध (ग) के अनुसार यथास्थिति अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उम्मीदवारों के लिये रक्षित रिक्त सीटों पर नियुक्त किये जा सकेंगे.

(च) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्ति हेतु विशेष उपबंध) नियम, 1997 के उपबंधों के अनुसार महिला अभ्यर्थियों के लिये पद आरक्षित रहेंगे.

(छ) सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार विकलांग अभ्यर्थियों के लिये आरक्षण लागू रहेगा.

(ज) आयोग द्वारा सीधे चयन में विभागीय उम्मीदवारों को प्राथमिकता दी जायेगी.

(झ) जहाँ सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पदों के लिए कतिपय कालावधि का अनुभव आवश्यक शर्त के रूप में विहित किया गया है और लोक सेवा आयोग की राय में यह पाया जाये कि आरक्षित पदों पर भर्ती के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है, वहां लोक सेवा आयोग अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़े वर्गों के अभ्यर्थियों के बारे में अनुभव की शर्त को शिथिल कर सकेगा.

12. **आयोग द्वारा सिफारिश किये गये अभ्यर्थियों की सूची :**

(1) आयोग अपने द्वारा निश्चित किए गए मानकों के अनुसार अर्ह उम्मीदवारों की योग्यता क्रम से बनाई गई सूची तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के उन उम्मीदवारों की सूची, जो यद्यपि उक्त मानक के अनुसार अर्ह नहीं है, किंतु जिन्हें आयोग ने प्रशासन में दक्षता बनाये रखने का समुचित ध्यान रखते हुए, सेवा में नियुक्ति के लिये उपयुक्त घोषित किया है, सरकार को भेजेगा. यह सूची सर्वसाधारण की सूचना के लिए भी प्रकाशित की जायेगी.

(2) इन नियमों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम - 1961 के उपबंधों के अधीन उपलब्ध रिक्त स्थानों पर सूची में दिए गए नामों के क्रम से उम्मीदवारों की नियुक्ति के संबंध में विचार किया जाएगा.

(3) सूची में किसी उम्मीदवार का नाम सम्मिलित किये जाने संबंधी तथ्य ही उसे तब तक नियुक्ति का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता, जब तक कि शासन ऐसी जॉच करने के बाद, जिसे वह आवश्यक समझे, इस बात से संतुष्ट नहीं हो जाए कि उम्मीदवार सेवा में नियुक्ति के लिये सभी प्रकार से उपयुक्त है.

(4) चयन सूची, आयोग द्वारा उसे जारी किये जाने की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक विधिमान्य रहेगी.

13. **परिवीक्षा :** सेवा में सीधी भर्ती किये गये प्रत्येक व्यक्ति को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षा पर नियुक्ति किया जावेगा.

14. **पदोन्नति द्वारा नियुक्ति :**

(1) पात्र उम्मीदवारों की पदोन्नति हेतु चयन करने के लिये राज्य सरकार अनुसूची-चार में उल्लेखित सदस्यों की एक समिति गठित करेगी. तथापि समिति में अध्यक्षता करने वाले अधिकारी को छोड़कर अन्य नाम - निर्देशित किये गये सदस्यों में यदि कोई सदस्य अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है तो उक्त ऐसे प्रवर्गों के समान स्तर के किसी एक अधिकारी को पदोन्नति समिति में सम्मिलित किया जावेगा और पदोन्नति समिति की सदस्य संख्या उस सीमा तक बढ़ायी जाएगी.

(2) समिति की बैठक ऐसे अंतराल में होगी, जो सामान्यत: एक वर्ष से अधिक न हो.

(3) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति में आरक्षण रहेगा.

(4) छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधान के अनुसार रोस्टर का पालन किया जायेगा.

15. **पदोन्नति के लिए पात्रता की शर्तें :**

(1) उपनियम (2) के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, समिति उन सभी व्यक्तियों के मामले पर विचार करेगी, जिन्होने उस वर्ष की एक जनवरी को उन पदों पर, जिनसे पदोन्नति की जानी है या किसी अन्य पद या पदों पर, जिन्हें शासन ने उनके समतुल्य घोषित किया हो स्थानान्तरण या मौलिक रूप से उतने वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली हो जितनी अनुसूची चार के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट है और जो उप नियम (2) के उपबंध के अनुसार विचारार्थ क्षेत्र में आते हों.

स्पष्टीकरण : पदोन्नति के लिये पात्रता हेतु संगणना की रीति- संबंधित वर्ष जिसमें विभागीय पदोन्नति समिति/छानबीन समिति आहूत की जाती है की प्रथम जनवरी को अर्हकारी सेवा की अवधि की गणना उस वर्ष से की जायेगी जिसमें लोक सेवक फीडर संवर्ग/सेवा के भाग/पद के वेतनमान में आया है और न कि वेतनमान में आने की तारीख से.

(2) छ. ग. लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के अनुसार पदोन्नति के लिये चयन क्षेत्र के लिये विधिमान्य होंगे.

टिप्पणी :-

(अ) भविष्य में सीधी भर्ती एवं विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पदोन्नति में किसी भी प्रकार का भेद नहीं होगा.

(ब) सभी "एकांगी" पद विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा ही भरे जायेंगे.

16. **उपयुक्त अधिकारियों की सूची तैयार करना :** छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों अनुसार समिति ऐसे व्यक्तियों की एक सूची तैयार करेगी जो उपर्युक्त नियम-15 में निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों तथा जिन्हें सेवा में पदोन्नति के उपयुक्त पाया गया है.

17. **आयोग से परामर्श :** विभागीय पदोन्नति समिति, जिसकी अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य द्वारा की गई हो, की सिफारिश के संबंध में यह समझा जावेगा कि संविधान के अनुच्छेद 320 के खण्ड (3) के उपखण्ड (ख) के अधीन आयोग के साथ परामर्श करने संबंधी अपेक्षा का अनुपालन हो गया है तथा आयोग के साथ पृथक परामर्श करना आवश्यक नहीं होगा.

18. **चयन सूची :**

(1) सरकार द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित की गई सूची अनुसूची-चार के कॉलम (2) में दर्शाये गए पदों से अनुसूची चार के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट पदों पर सेवा के सदस्यों की पदोन्नति के लिये चयन सूची होगी.

(2) जिस कैलेण्डर वर्ष में पदोन्नति के लिये चयन सूची तैयार की जावेगी उसकी विधि मान्यता उस कैलेण्डर वर्ष के 31 दिसम्बर तक रहेगी,

परन्तु चयन सूची में सम्मिलित किसी व्यक्ति की ओर से आचरण या कर्त्तव्यों के निर्वहन में गंभीर चूक होने की दशा में सरकार की प्रेरणा द्वारा चयन सूची का विशेष रूप से पुनर्विलोकन किया जा सकेगा और आयोग, यदि वह उचित समझे, ऐसे व्यक्ति का नाम चयन सूची से हटा सकेगा.

19. **चयन सूची से सेवा में नियुक्ति :**

(1) चयन सूची में सम्मिलित अधिकारियों की नियुक्तियाँ छत्तीसगढ़ लोक सेवा (पदोन्नति) नियम, 2003 के प्रावधानों के अनुसार की जावेंगी.

(2) साधारणतः, किसी व्यक्ति, जिसका नाम सेवा की चयन सूची में सम्मिलित हो, की सेवा में नियुक्ति के पूर्व आयोग से परामर्श करना तब तक आवश्यक नहीं होगा जब तक कि चयन सूची में उसका नाम शामिल किये जाने तथा प्रस्तावित नियुक्ति की तारीख के बीच की अवधि में उसके कार्य में ऐसी कोई गिरावट उत्पन्न न हो जाए जो सरकार की राय में सेवा में नियुक्ति के लिये अनुपयुक्त हो गया हो.

(3) **परिवीक्षावधि :** सेवा में पदोन्नति से नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति दो वर्ष के लिये परिवीक्षा पर नियुक्त किया जायेगा.

20. **निर्वचन :** यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठे तो उसे सरकार को निर्दिष्ट किया जायेगा, जिस पर उसका निर्णय अंतिम होगा.

21. **शिथिलीकरण :** इन नियमों में दी गई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह राज्यपाल को, ऐसे व्यक्ति के मामले में, जिस पर ये नियम लागू होते हैं, ऐसी रीति से कार्यवाही करने की, जो उसे न्यायसंगत और साम्यपूर्ण प्रतीत हो, शक्ति को सीमित या कम करती है,

परंतु कोई मामला ऐसी रीति से नहीं निपटाया जाएगा जो कि इन नियमों में उपबंधित रीति की अपेक्षा उसके लिये कम अनुकूल हो.

22. **व्यावृत्ति :** इन नियमों की कोई भी बातें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए राज्य शासन द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों के अनुसार उपबंध किए जाने हेतु अपेक्षित आरक्षण तथा अन्य शर्तों को प्रभावित नहीं करेगी.

23. **निरसन और व्यावृत्ति :** मध्य प्रदेश तकनीकी शिक्षा (राजपत्रित) सेवा भरती नियम, 1990 (समसंख्यक अधिसूचना क्र. एफ 1-163-89 बयालीस-1 दिनॉक 13 फरवरी 1991) छत्तीसगढ़ राज्य में इसके विस्तार के संबंध में तथा इन नियमों के प्रारंभ होने के तत्काल पूर्व प्रवृत्त अन्य समस्त नियम एवं संकल्प इन नियमों के अंतर्गत आने वाले विषयों के संबंध में एतद्द्वारा निरसित किये जाते हैं,

परंतु इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन किया गया कोई भी आदेश या की गई कोई कार्यवाई इन नियमों के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन दिया गया आदेश या की गई कार्यवाई समझी जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश त्रिपाठी, उप - सचिव.

अनुसूची - एक
(नियम - 5)

अनु. क्र. (1)	सेवा में सम्मिलित पद का नाम (2)	कुल स्वीकृत पद (3)	वर्गीकरण (4)	वेतनमान (5)	टिप्पणियाँ (6)
1.	प्राचार्य	10	प्रथम श्रेणी	16400-20000 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
2.	विभागाध्यक्ष				
	(1) सिविल इंजी.	04	प्रथम श्रेणी	12000-18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(2) मेकेनिकल इंजी.	07	प्रथम श्रेणी	12000-18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(3) इलेक्ट्रिकल इंजी.	05	प्रथम श्रेणी	12000-18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(4) इलेक्ट्रानिक्स एवं टेली.	04	प्रथम श्रेणी	12000-18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(5) सूचना प्रौद्योगिकी	03	प्रथम श्रेणी	12000-18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(6) इंस्ट्रूमेन्टेशन	01	प्रथम श्रेणी	12000-18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(7) मेटलर्जी	02	प्रथम श्रेणी	12000-18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(8) माईनिंग	01	प्रथम श्रेणी	12000-18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(9) माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट	04	प्रथम श्रेणी	12000-18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(10) कास्ट्यूम डिजाईनिंग एंड ड्रेस मेकिंग.	02	प्रथम श्रेणी	12000-18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(11) आर्किटेक्चर	01	प्रथम श्रेणी	12000-18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(12) कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी.	02	प्रथम श्रेणी	12000-18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(13) फार्मेसी	01	प्रथम श्रेणी	12000-18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(14) प्रशिक्षण व स्थानन अधिकारी.	02	प्रथम श्रेणी	12000-18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(15) इंटीरियर डेकोरेशन	01	प्रथम श्रेणी	12000-18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
3.	व्याख्याता				
	(1) सिविल इंजी.	17	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(2) मेकेनिकल इंजी.	32	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(3) इलेक्ट्रिकल इंजी.	23	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(4) इलेक्ट्रानिक्स एवं टेली.	24	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(5) सूचना प्रौद्योगिकी	12	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(6) इंस्ट्रूमेन्टेशन	03	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(7) मेटलर्जी	08	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(8) माईनिंग	03	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(9) माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट	16	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	अतकनीकी
	(10) कास्ट्यूम डिजाईनिंग एंड ड्रेस मेकिंग.	06	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	अतकनीकी

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(11) इंटीरियर डिजाइन व डेकोरेशन.	03	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	अतकनीकी
	(12) आर्किटेक्चर	04	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(13) कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी.	14	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(14) फार्मेसी	05	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(15) सहायक कर्मशाला अधीक्षक.	10	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	व्याख्याता मेकेनिकल इंजी. के स्थानांतरण द्वारा.
	(16) प्रशिक्षण व स्थानन अधिकारी.	03	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	व्याख्याता तकनीकी के स्थानांतरण द्वारा.
	(17) भौतिकी	10	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(18) रसायन	10	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(19) अंग्रेजी	10	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(20) गणित	11	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(21) एप्लाईड जियोलॉजी	01	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(22) माइन सर्वेइंग	01	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
	(23) केमिकल इंजीनियरिंग	01	प्रथम श्रेणी	8000-13500 (ए. आई. सी. टी. ई.)	
3 (क)	व्याख्याता, वरिष्ठ श्रेणी	अनुक्रमांक 3 में वर्णित समस्त पद.	प्रथम श्रेणी	10000-15200 (ए. आई. सी. टी. ई.)	कृपया अनुसूची-तीन की टिप्पणी - 2 देखें.
3 (ख)	व्याख्याता, प्रवर श्रेणी	अनुक्रमांक 3 (क) में वर्णित समस्त पद.	प्रथम श्रेणी	12000-18300 (ए. आई. सी. टी. ई.)	कृपया अनुसूची-तीन की टिप्पणी - 3 देखें.

अनुसूची - दो

(नियम-6)

अनु. क्र.	विभाग का नाम	सेवा का नाम	पदों की संख्या	भरे जाने वाले स्वीकृत पदों की संख्या का प्रतिशत			टिप्पणी
				सीधी भर्ती द्वारा	सेवा के मूल अस्थायी सदस्यों की पदोन्नति द्वारा	अन्य सेवा से व्यक्तियों के स्थानांतरण द्वारा	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	तकनीकी शिक्षा.	प्राचार्य	10	00	100	00	
		विभागाध्यक्ष					
		(1) सिविल इंजी.	04	50	50	00	
		(2) मेकेनिकल इंजी.	07	50	50	00	
		(3) इलेक्ट्रिकल इंजी.	05	50	50	00	
		(4) इलेक्ट्रानिक्स एवं टेली.	04	50	50	00	
		(5) सूचना प्रौद्योगिकी	03	50	50	00	
		(6) इंस्ट्रूमेन्टेशन	01	50	50	00	
		(7) मेटलर्जी	02	50	50	00	
		(8) माईनिंग	01	50	50	00	
		(9) माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट.	04	50	50	00	अतकनीकी
		(10) कास्ट्यूम डिजाईनिंग एंड ड्रेस मेकिंग.	02	50	50	00	अतकनींकी
		(11) आर्किटेक्चर	01	50	50	00	
		(12) कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी.	02	50	50	00	
		(13) फार्मेसी	01	50	50	00	
		(14) प्रशिक्षण व स्थानन अधिकारी.	02	00	00	100	व्याख्याता तकनीकी के द्वारा.
		(15) इंटीरियर डिजाइन व डेकोरेशन.	01	50	50	00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	तकनीकी शिक्षा.	व्याख्याता					
		(1) सिविल इंजी.	17	100	00	00	
		(2) मेकेनिकल इंजी.	32	100	00	00	
		(3) इलेक्ट्रिकल इंजी.	23	100	00	00	
		(4) इलेक्ट्रानिक्स एवं टेली.	24	100	00	00	
		(5) सूचना प्रौद्योगिकी	12	100	00	00	
		(6) इंस्ट्रूमेन्टेशन	03	100	00	00	
		(7) मेटलर्जी	08	100	00	00	
		(8) माईनिंग	03	100	00	00	
		(9) माडर्न ऑफिस मैनेजमेंट.	16	100	00	00	अतकनीकी
		(10) कास्ट्यूम डिजाईनिंग एंड ड्रेस मेकिंग.	06	100	00	00	अतकनीकी
		(11) इंटीरियर डिज़ाइन व डेकोरेशन.	03	100	00	00	अतकनीकी
		(12) आर्किटेक्चर	04	100	00	00	
		(13) कम्प्यूटर साइंस एवं इंजी.	14	100	00	00	
		(14) फार्मेसी	05	100	00	00	
		(15) सहायक कर्मशाला अधीक्षक.	10	00	00	100	व्याख्याता मेकेनिकल इंजी. के स्थानांतरण द्वारा.
		(16) प्रशिक्षण व स्थानन अधिकारी.	03	00	00	100	व्याख्याता तकनीकी के स्थानांतरण द्वारा.
		(17) भौतिकी	10	100	00	00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(18) रसायन	10	100	00	00	
		(19) अंग्रेजी	10	100	00	00	
		(20) गणित	11	100	00	00	
		(21) एप्लाईड जियोलॉजी	01	100	00	00	
		(22) माइन सर्वेइंग	01	100	00	00	
		(23) केमिकल इंजीनियरिंग	01	100	00	00	

टिप्पणी - कर्मशाला अधीक्षक, सहायक कर्मशाला अधीक्षक, प्रशिक्षण स्थानन अधिकारी, जो अनुसूची दो के कॉलम - 8 में यथा विनिर्दिष्ट संवर्ग से स्थानांतरण द्वारा भरे जाएंगे, यह स्पष्ट किया जाता है कि इन पदों पर व्यक्ति को आवश्यकतानुसार उसके समतुल्य अध्यापन पदों पर पुन: स्थानांतरित किया जा सकता है. इन पदों का अनुभव उसी के समतुल्य अध्यापन पदों के अनुभव के समतुल्य माना जायेगा.

अनुसूची - तीन

(नियम - 8 देखिए)

विभाग का नाम (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	अधिकतम आयु सीमा (4)	शैक्षणिक अर्हता तथा अनुभव (5)	टिप्पणियाँ (6)
तकनीकी शिक्षा.	विभागाध्यक्ष 1. सिविल/मेकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रानिक्स एवं टेली कम्यूनिकेशन/ सूचना प्रौद्योगिकी/. इंस्ट्रूमेंटेशन/मेटलर्जी/ माईनिंग/आर्किटेक्चर.	-	58 वर्ष	1. इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में स्नातक स्तर पर मूल उपाधि सहित इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/ तकनीशियन शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि, जिसमें से स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर में से किसी एक में प्रथम श्रेणी होना अनिवार्य है. 2. अध्यापन/उद्योग/शोध कार्य में व्याख्याता या समतुल्य स्तर पर पाँच वर्षों का अनुभव. नोट :- उद्योग/व्यवसाय क्षेत्र के वे अभ्यार्थी पात्र होंगे जिनके पास इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि हो और स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य मान्य व्यावसायिक कार्य हो, साथ ही 5 वर्षों का अनुभव हो.	
	2. कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग.	-	58 वर्ष.	1. कम्प्यूटर सांइस एवं इंजीनियरिंग में स्नातक तथा स्नातोकत्तर उपाधि, स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी के साथ. या इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि सहित कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि. 2. अध्यापन/उद्योग/शोध कार्य में व्याख्याता या समतुल्य स्तर पर पाँच वर्षों का अनुभव. नोट :- उद्योग/व्यवसाय क्षेत्र के वे अभ्यार्थी पात्र होंगे जिनके पास कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि हो और स्नातकोत्तर उपाधि के समतुल्य मान्य व्यावसायिक कार्य हो, साथ ही 5 वर्षों का अनुभव हो.	
	3. माडर्न आफिस मैनेजमेंट (आधुनिक कार्यालय प्रबंधन) (अतकनीकी)	-	58 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में पी.एच. डी. की उपाधि. तथा 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का माडर्न आफिस मैनेजमेंट/मार्डन ऑफिस प्रैक्टिस/सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एण्ड स्टेनोग्राफी/कामर्शियल प्रैक्टिस विषय में अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/ डिप्लोमा स्तर का माडर्न आफिस मैनेजमेंट/मार्डन ऑफिस प्रैक्टिस सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एण्ड स्टेनोग्राफी/कार्मिशियल प्रैक्टिस विषय में अध्यापन तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में समुचित स्तर पर उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	4. कास्ट्यूम डिजाइन व ड्रेस मेकिंग (वेशभूषा अभिकल्पना एवं वस्त्र निर्माण) (अतकनीकी)	-	58 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वस्त्र तथा परिधान निर्माण में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (एम. एच. एस. सी.) के साथ पी. एच. डी. की उपाधि तथा 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर संबंधित विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का संबंधित विषय में अध्यापन तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में समुचित स्तर पर उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए या 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी स्नातक उपाधि तथा वेशभूषा अभिकल्पन तथा परिधान निर्माण में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि तथा 2. संबंधित विषय में 8 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का अध्यापन अनुभव या 8 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय में अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में समुचित स्तर का अनुभव होना चाहिए.	
	5. इंटीरियर डिजाइन एवं डेकोरेशन (अतकनीकी)	-	58 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाइन में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाइन विषय में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 8 वर्ष का इंटीरियर डेकोरेशन विषय का अध्यापन अनुभव या 8 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 5 वर्ष का डिग्री/ डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय के अध्यापन होना चाहिए तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में समुचित स्तर पर उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/ शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए. या 1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आर्किटेक्चर शाखा में इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाइन विषय के साथ प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि तथा साथ में आर्किटेक्चर शाखा में इंटीरियर डेकोरेशन विषय के साथ बुनियादी उपाधि और 2. डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर 5 वर्ष का इंटीरियर डेकोरेशन विषय का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष के अनुभव का डिग्री/डिप्लोमा स्तर का उपरोक्त विषय के अध्यापन का अनुभव होना चाहिए तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में समुचित स्तर पर उद्योग/ फील्ड/ ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	6. फार्मेसी (तकनीकी)	-	58 वर्ष	1. मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से बी. फार्मा की बुनियादी उपाधि के साथ प्रथम श्रेणी में एम. फार्मा और डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपयुक्त विषय में 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव या 5 वर्ष के कुल अनुभव में से न्यूनतम 3 वर्ष का डिग्री/डिप्लोमा स्तर पर उपरोक्त विषय के अध्यापन का अनुभव तथा शेष अवधि का संबंधित विषय में समुचित स्तर पर उद्योग/फील्ड/ट्रेनिंग/शोध कार्य में अनुभव होना चाहिए.	
	व्याख्याता - 1. सिविल/मेकेनिकल/ इलेक्ट्रिकल/इलेक्ट्रानिक्स एवं टेलीकम्यूनिकेशन/ सूचना प्रौद्योगिकी/ इंस्ट्रूमेंटेशन/ मेटलर्जी/ माईनिंग/ आर्किटेक्चर/ केमिकल इंजी.	21 वर्ष	35 वर्ष	1. इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. या इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी की समुचित शाखा में स्नातकोत्तर उपाधि. **नोट :-** कोई न्यूनतम अनुभव आवश्यक नहीं.	
	2. कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग.	21 वर्ष	35 वर्ष	1. कम्प्यूटर सांइस एवं इंजीनियरिंग में प्रथम श्रेणी में स्नातक/ स्नातकोत्तर उपाधि, या इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी की किसी भी शाखा में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि सहित कम्प्यूटर साइंस एवं इंजीनियरिंग/ प्रौद्योगिकी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि. **नोट :-** कोई न्यूनतम अनुभव आवश्यक नहीं.	
	3. विज्ञान एवं मानविकी	21 वर्ष	35 वर्ष	विज्ञान/मानविकी के संबंधित विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि. या उत्तम शैक्षणिक रिकार्ड के साथ संबंधित विषय में न्यूनतम 55% अंकों या 6.25 सी. जी. पी. ए. (10 प्वाइंट पैमाने पर) सहित स्नातकोत्तर उपाधि तथा इस हेतु यू. जी. सी. द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्तर की टेस्ट (एन. ई. टी.) या समतुल्य टेस्ट में उत्तीर्ण (पी. एच. डी. उपाधिधारी अभ्यार्थियों को एन. ई. टी. या समतुल्य परीक्षा के बंधन से छूट रहेगी) **नोट :-** कोई न्यूनतम अनुभव आवश्यक नहीं.	
	4. माडर्न आफिस मैनेजमेंट (आधुनिक कार्यालय प्रबंधन)	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वाणिज्य में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि के साथ माडर्न आफिस मैनेजमेंट/ माडर्न ऑफिस प्रैक्टिस/सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस एण्ड स्टेनोग्राफी/ कामर्शियल प्रैक्टिस विषय में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि. **वांछनीय :-** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से कम्प्यूटर उपयोजन में न्यूनतम एक वर्षीय पत्रोपाधि/स्नातकोत्तर पत्रोपाधि. **नोट :-** कोई न्यूनतम अनुभव आवश्यक नहीं.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	5. इंटीरियर डिजाइन एवं डेकोरेशन.	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाइन में स्नातक उपाधि. **या** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से प्रथम श्रेणी में में स्नातक उपाधि के साथ इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाइन विषय में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि. **या** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से आर्किटेक्चर शाखा में इंटीरियर डेकोरेशन एवं डिजाइन के साथ प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि. **नोट** :- कोई न्यूनतम अनुभव आवश्यक नहीं.	
	6. फार्मेसी	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फार्मेसी में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि. (कोई न्यूनतम अनुभव आवश्यक नहीं) **या** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से फार्मेसी में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि के साथ तीन वर्ष का अनुभव.	
	7. कास्ट्यूम डिजाइन व ड्रेस मेकिंग (वेशभूषा अभिकल्पना एवं वस्त्र निर्माण)	21 वर्ष	35 वर्ष	मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से वस्त्र तथा परिधान निर्माण में प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर उपाधि (एम. एच. एस. सी.) **या** मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्था से किसी भी विषय में प्रथम श्रेणी में स्नातक उपाधि तथा वेशभूषा अभिकल्पन तथा परिधान निर्माण में प्रथम श्रेणी में न्यूनतम दो वर्षीय पत्रोपाधि. नोट :- कोई न्यूनतम अनुभव आवश्यक नहीं.	

केरियर एडवांसमेंट :- केरियर एडवांसमेंट में शिक्षकों के समस्त स्थापना " इन सीटू " के आधार पर होगा, जो किसी विशेष संवर्ग में मंजूर किये गये पदों की संख्या के अतिरिक्त होगा.

टिप्पणी-1 व्याख्याता के रूप में भर्ती के समय :

(अ) विज्ञान/मानविकी संकाय में उनको जो क्रमश: पी. एच. डी. तथा एम. फिल की उपाधियॉं धारण करते हों और तकनीकी विषय में उनको, जो क्रमश: पी. एच. डी. तथा एम. ई./ एम. टेक की उपाधियॉं धारण करते हों. चार तथा दो अग्रिम वेतनवृद्धियां अनुज्ञेय होंगी.

(ब) विज्ञान/मानविकी संकाय में वे शिक्षक जो एम. फिल की उपाधि रखते हैं तथा तकनीकी संकाय के वे शिक्षक जो एम. ई./एम. टेक की उपाधि रखते हैं, एक अग्रिम वेतनवृद्धि के पात्र होंगे यदि वे नियुक्ति के दो वर्ष के अंदर पी. एच. डी. की उपाधि अर्जित कर लेते हैं.

(स) ऐसे व्याख्याता का, जो पी. एच. डी. की उपाधि रखता है, जब उसका कैरियर एडवांसमेंट स्कीम के तहत व्याख्याता सिलेक्शन ग्रेड (प्रवर श्रेणी) के पद पर स्थानन होगा, वह दो अग्रिम वेतनवृद्धि का पात्र रहेगा.

(द) सेवा काल के दौरान शिक्षक जब भी पी. एच. डी. की उपाधि अर्जित करतें हैं उन्हें उपाधि अर्जित करने की तिथि से दो अग्रिम वेतनवृद्धियॉं अनुज्ञेय होंगे.

टिप्पणी-2 व्याख्याता, वरिष्ठ वेतनमान में स्थानन के लिये पात्र होगा, यदि :-

1. व्याख्याता के रूप में नियमित रूप में चयन के पश्चात् 1 जनवरी को 6 वर्षो की सेवा पूर्ण कर ली हो, यदि उसके पास एम. फिल, एम. ई./एम. टेक तथा पी. एच. डी. की उपाधि हो तो उसे क्रमश: 1 वर्ष तथा 2 वर्ष की छूट दी जायेगी.

2. उसने कम से कम 8 सप्ताह के औद्योगिक प्रशिक्षण/शरदकालीन/ग्रीष्मकालीन स्कूलों अथवा लघु अवधि के निरंतर शिक्षा पाठ्यक्रमों में भाग लिया हो.

3. उसके पिछले 3 वर्षो का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो.

टिंप्पणी-3 व्याख्याता, जो वरिष्ठ वेतनमान व्याख्याता के रूप में कार्यरत हो, सिलेक्शन ग्रेड (प्रवर श्रेणी) में स्थानन के लिये पात्र होगा यदि :-

1. उसने चयन के वर्ष में 1 जनवरी को वरिष्ठ वेतनमान में 5 वर्ष पूर्ण कर लिये हों,

2. वह स्नातकोत्तर उपाधि धारित करता हो,

3. उसके पिछले 5 वर्षो का अभिलेख निरंतर रूप से अच्छा हो.

टिप्पणी-4 कैरियर एडवांसमेंट स्किम के अंतर्गत व्याख्याता को वरिष्ठ वेतनमान/सिलेक्शन ग्रेड वेतनमान में स्थानन के लिये धारित पद, उन्नत किये जायेंगे यह स्थानन प्रक्रिया एक चयन समिति द्वारा किया जायेगा जिसके निम्नलिखित सदस्य होंगे :-

1.	सचिव, तकनीकी शिक्षा	-	अध्यक्ष
2.	संचालक तकनीकी शिक्षा	-	सदस्य
3.	शासकीय पॉलीटेक्निक के दो प्राचार्य	-	सदस्य
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधि	-	सदस्य

अनुसूची - चार

(नियम 14 - 15 देखिए)

विभाग	उस पद/सेवा का नाम जिससे पदोन्नति की जावेगी	पात्रता की कालावधि	उस सेवा/पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जावेगी एवं वांछित शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव		विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्य
			पद का नाम	शैक्षणिक अर्हताएं तथा अनुभव	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
तकनीकी शिक्षा	1. विभागाध्यक्ष (इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी विषय)	3 वर्ष	प्राचार्य	1. इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी में स्नातक या स्नातकोत्तर स्तर पर प्रथम श्रेणी की उपाधि सहित इंजीनियरिंग/तकनीशियन शिक्षा में स्नातकोत्तर उपाधि. 2. अध्यापन/उद्योग/शोध कार्य में 15 वर्षों का अनुभव, जिसमें 3 वर्ष का विभागाध्यक्ष स्तर का अनुभव होना चाहिए, या 1. इंजीनियरिंग/प्रौद्योगिकी/तकनीशियन शिक्षा में पी. एच. डी. 2. 10 वर्षों के अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए जिसमें 3 वर्ष विभागाध्यक्ष स्तर का अनुभव हो.	1. लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या उनके द्वारा मनोनित सदस्य - अध्यक्ष. 2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव -सदस्य. 3. संचालक तकनीकी शिक्षा - सदस्य.
	2. व्याख्याता	5 वर्ष	विभागाध्यक्ष	अनुसूची-तीन के कॉलम (5) के अनुसार.	- तथैव -

Raipur, the 12th December 2005

NOTIFICATION

No. F-1-20/2005/42.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh hereby makes the following rules relating to recruitment to the Chhattisgarh Technical Education (Gazetted) Service (Teaching Cadre-Polytechnic) Recruitment Rules, namely :-

RULE

1. **Short Title and Commencement :-**

(1) These rules may be called the " Chhattisgarh Technical Education (Gazetted) Service (Teaching Cadre-Polytechnic) " Recruitment Rules, 2005.

(2) It shall come into force with effect from the date of its publication in the official Gazette.

2. **Definitions :** In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) " Appointing Authority " in respect of the Service means the Government ;

(b) " Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission ;

(c) " Examination " means a competitive examination for recruitment to the service held under Rules - 6 (1) and Rule - 11 ;

(d) " AICTE " means the All India Council for Technical Education established under the All India Council for Technical Education Act, 1987 (No. 52 of 1987) ;

(e) " Government " means the Government of Chhattisgarh ;

(f) " Schedule" means a schedule appended to these rules ;

(g) " Scheduled Caste " means the scheduled caste as specified in relation to this State under article 341 of the constitution of India :

(h) " Scheduled Tribe " means the scheduled Tribe as specified in relation to this State under article 342 of the constitution of India ;

(i) " Other Backward Classes " means the Other Backward Classes declared by the State Government from time to time by Notification ;

(j) " Selection Committee" means the Selection Committee mentioned in Schedule IV ;

(k) " Service " means the Chhattisgarh Technical Education (Gazetted) Service (Teaching Cadre - Polytechnic) ;

(l) " State " means the state of Chhattisgarh.

3. **Scope and Application :** Without prejudice to the generality of the provisions contained in the Chhattisgarh Civil Services (General Conditions of Service) Rules 1961, these rules shall apply to member of the Service.

4. **Constitution of the Service :** The service shall consist of the following persons, namely :-

(a) Persons, who at the commencement of these rules are holding substantively the posts specified in Schedule I ;

(b) Persons recruited to the Service before commencement of these rules ; and

(c) Persons recruited to the Service in accordance with the provisions of these rules.

5. **Classification, Scale of Pay etc. :** The classification of the service, the scale of pay attached thereto and the number of posts included in the service shall be in accordance with the provisions contained in Scheduled - I ;

Provided that the Government may, from time to time, add to or reduce the number of posts included in the service, either on a permanent or temporary basis.

6. **Method of Recruitment :**

(1) Recruitment to the Service, after the commencement of these rules, shall be made by the following methods, namely :-

(a) By direct recruitment by competitive Examination/ Selection.

(b) By promotion of the members of Service specified in column (2) of Schedule - IV.

(c) By transfer of persons who hold in a substantive capacity such posts as specified, in Schedule - II.

(2) The number of persons recruited under clause (b) and clause (c) of sub-rule (1) shall not at any time exceed the percentage shown in Schedule-II of the number of duty posts, as specified in Schedule - I.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), if in the opinion of the Government the Exigencies of the service so require, the Government may with prior concurrence of the General Administrative Department adopt such methods of recruitment to the service other than those specified in the said sub-rule, as it may by order issued in this behalf, prescribe.

(4) Subject to the provisions of these rules, the method or methods of recruitment to be adopted for the purpose of filling any particular post or posts in the service as may be required to be filled during any particular period of recruitment and the number of persons to be recruited by each method, shall be determined on each occasions by the Government in consultation with the commission.

(5) At the time of recruitment the provision of Chhattisgarh Civil Service (Reservation for Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes) Rules 1994 and the directives issued by the General Administration Department issued from time to time shall be applicable.

7. **Appointment to the Service :** All appointments to the service after commencement of these rules shall be made by the Government and no such appointment shall be made except after selection by one of the methods of recruitment specified in Rule-6.

8. **Conditions of eligibility for direct recruitment :** In order to be eligible to compete at the examination/ selection, a candidate must satisfy the following conditions, namely :-

(1) **Age :**

(a) He must have attained the age specified in Column (3) of Schedule-III and must have not attained the age as specified in Column (4) of the said Schedule, on the first day of January, next following the date of commencement of the examination/Selection.

(b) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 5 years if a candidate belongs to a Scheduled Caste, a Scheduled Tribe or Other Backward Classes.

(c) The upper age limit shall also be relaxable up to a maximum period of three years or equal to the period, under the service of Chhattisgarh Government in respect of candidates who are or who have been employees of the Chhattisgarh to the extent and subject to the conditions specified below :

(i) A candidate who is a permanent or temporary Government servant shall not be more than 38 years of age.

(ii) A candidate holding a post temporarily and applying for another post shall not be more than 38 years of age. This concession shall also be admissible to the contingency paid employees, work charged employees and employees working in the project- implementing committees.

(iii) A candidate who is retrenched Government servant will be allowed to deduct from his age the period of all temporary service previously rendered by him up to a maximum limit of 7 (Seven) years even if it represents more than one spell provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation : The term " Retrenched Government Servant " denotes a person who was in the temporary Government service of this state or of any of the constituent units, for a continuous period of not less than six months and who was dischrged because of reduction in establishment not more than three years prior to the date of his registration at the employment exchange or of application made otherwise for employment in Government service.

(d) A candidate who is an ex-serviceman shall be allowed to deduct from his age the period of all defence service previously rendered by him, provided that the resultant age does not exceed the upper age limit by more than three years.

Explanation : The term " Ex-serviceman " denotes a person who belonged to any of the following categories and who was employed under the Government of India for continuous period of not less than six months and who was retrenched or declared surplus as a result of the recommendation of the economy unit or due to normal deduction in the establishment not more than three years before the date of the registration at any employment exchange or of the application made otherwise for employment in the Government service :

(i) Ex-serviceman released under mustering out concession ;

(ii) Ex-serviceman enrolled for the second time and discharged on - (a) completion of short-term engagement, (b) fulfilling the conditions of enrolment.

(iii) Ex- personnel of Madras Civil Unit ;

(iv) Officers (Military and Civil) discharged on completion of their contract (including short service Regular Commissioned Officers) :

(v) Officers discharged after working for more than six months continuously against leave vacancies ;

(vi) Ex- serviceman invalidated out of service ;

(vii) Ex-serviceman discharged on the ground that they are unlikely to become efficient soldiers ;

(viii) Ex-servicemen who are medically boarded on account of gunshot, wounds, etc.

(e) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum of 10 years for women candidates in accordance with the provision of Chhattisgarh Civil Services (Special Provision of Appointment of Women) Rules 1997.

(f) The upper age limit shall be relaxable up to 38 years of age in respect of candidates who are employees of Chhattisgarh State Corporation/ Boards.

(g) The General upper age limit shall be 55 years in respect of widow, destitute, and divorced women candidates.

(h) The upper age limit shall be r elaxable up to a maximum 2 (Two) years for those candidates who are Green Card holders under the Family Welfare Programme.

(i) The upper age limit shall be relaxable up to a maximum 5 (Five) years in respect of a Savarna Partner who has been awarded under the Inter Caste Marriage Incentive scheme of the Tribal, Harijan and Backward Classes Welfare Department.

(j) The General upper age limit shall also be relaxable up to 5 (Five) years in respect of " Vikrama Awards " holder candidates.

(k) The upper age limit shall be relaxed in the case of voluntary Home Guards and noncommissioned officers of Home Grards for the period of service rendered by them subject to the limit of 8 (Eight) years but in no case their age should exceed 38 years.

(2) **Educational Qualifications :** He must posses such educational qualifications as prescribed for the Schedule-III, Schedule-III (A) and Schedule-III (B) -

Provided that - (a) In exceptional cases the Commission may, on the recommendation of the Government, treat as qualified a candidate, who though not possessing any of the qualifications prescribed in this clause, has passed examination by other institutions by a standard which, in the opinion of the Commission, justifies the admission of the candidate to the examination/ consideration of the candidate for selection ; and.

(b) Candidates who are otherwise qualified but have taken degrees from foreign Universities, being Universities not specifically recognized by Government may also be considered for selection/admitted to the examination at the discretion of the Commission.

(3) **Fees :** He must pay the fees prescribed by the commission.

9. **Disqualification :** Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may be held by the commission to disqualify him for admission/ selection to the examination.

10. **Commission's decision about the eligibility of the candidates shall be final :** The decisions of the commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for selection shall be final and no candidate to whom a certificate of admission has not been issued by the commission shall be interviewed.

11. **Direct recruitment by competitive examination :**

(1) A competitive examination for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the commission from time to time, determine.

(2) The examination shall be conducted by the commission in accordance with such orders as the Government from time to time issue in consultation with the commission.

(3) **Direct Recruitment by Selection :**

(a) Selection for recruitment to the service shall be held at such intervals as the Government may, in consultation with the commission, from time to time determine.

(b) Selection of Candidates for the service shall be made by the commission (by written test and/ or interview) after interviewing them.

(c) Posts shall be reserved for Scheduled Caste, Scheduled Tribes and Other Backward Classes as per the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Anusuchit Jati, Anusuchit Janjati Aur Anya Pichhade Vargon Ke Liye Arakshan) Adhiniyam, 1994 (No. 21 of 1994) and the orders issued by the Government from time to time.

(d) In filling the vacancies so reserved the candidates who are members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes and O. B. C. shall be considered for appointment in the order in which their names appear in the list referred to in Rule-12 irrespective of their relative rank as compared with other candidates.

(e) Candidates belonging to Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backwards Classes declared by the commission to be suitable for appointment to the service with due regard to the maintenance of efficiency of administration, may be appointed to the vacancies reserved for the candidates of the Scheduled Castes. Scheduled Tribes and Other Backward Classes as the case may be under clause (c) of sub-rule (3).

(f) Reservation for women candidates shall be applicable as per provisions of the Chhattisgarh Civil-Services (Special provision for appointment of Women) Rules, 1997.

(g) Reservation for the physically handicapped candidates shall be applicable as per the directions issued by the General Administration Department.

(h) Preference shall be given to the Departmental candidates in Direct Recruitment by the Commission.

(i) Where certain period of experience has been prescribed as an essential condition for filling the posts by direct recruitment and in the opinion of Public Service Commission if it is found that the sufficent number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates having requisite experence is not likely to be available for recruitment on the reserved posts then the Public Service Commission may relax the condition of experience in respect of Scheduled Castes/Scheduled Tribe candidates.

12. **List of Candidates Recommended by the Commission :**

(1) The commission shall forward to the Government the list arranged in order of merit and of the candidates who have qualified by such standards as the commission may determine of the candidates belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes who, though not qualified by that standard, are declared and by the commission to be suitable for appointment to the service with due regards to the maintenance of efficiency of administration. The list shall also be published for general information.

(2) Subject to the provisions of these rules and of the Chhattisgarh Civil Services (General conditions of Service) Rules, 1961, candidates will be considered for appointment to the available vacancies in the order in which their names appears in the selection list.

(3) Inclusion of a candidate's name in the list does not confer any right to appointment unless the Government is satisfied after such enquiry. as may be considered.necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the service.

(4) The select list shall be legally valid for a period of one year from the date of issue by the commission.

13. **Probation :** Every persons directly recruited to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

14. **Appointment by Promotion :**

(1) There shall be a constituted Committee consisting of the Members mentioned in Schedule-IV for making a selection for promotion of eligible candidates. However, if there is no Member other than the Chairman of the Committee representing Scheduled Castes/ Scheduled Tribes then one officer of equivalent cadre from category class will be included in addition to the above-mentioned committee and the number of members of such promotion committee will be increased to that extent.

(2) The committee shall meet at intervals ordinarily not exceeding one year.

(3) There shall be reservation in promotion in accordance with the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule- 2003.

(4) Roster shall be applicable in accordance with the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule - 2003.

15. **Conditions of eligibility for promotion :**

(1) Subject to the provision of sub-rule (2) the committee shall consider the cases of all persons who on the 1st day of January of that year had completed such number of years of service in the posts or any other post/posts declared equivalent thereto by the Government as mentioned in column (3) of the Schedule- IV and are within the Zones of consideration in accordance with the provision of sub-rule (2).

Explanation : Method of Computation for Eligibility for Promotion - The calculation of the period of qualifying service on the 1st January of the year in which the Departmental Promotion Committee/ Scrutiny Committee is called for meeting, is done from the year when the Government servant has attained the pay-scale of the respective feeder Cadre/post of service/ post and not from the date he has attained the pay-scale.

(2) The Field of selection for promotion shall be valid in accordance with the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule-2003.

Note :-

(a) There shall be no discrimination between promotions through " Departmental Promotion Committee " and Direct recruitment.

(b) All " single numbered " promotion posts shall be filled by the " Departmental Promotion Committee ".

16. **Preparation of List of Suitable Officers :** The Committee, according to the Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule - 2003, shall prepare a list of such persons as satisfy the conditions prescribed in Rule-15 and are held by the committee to be suitable for promotion to the service.

17. **Consultation with the Commission :** The recommendation of Departmental Promotion Committee presided over by the chairman or the member of the commission shall be deemed to be a compliance of the requirement of the consultation with the commission under sub clause (b) of clause (3) of Article 320 of the Constitution and a separate consultation with the commission shall not be necessary.

18. **Select List :**

(1) The list as finally approved by the Government shall form the select list for promotion of the members of the service as specified in column (4) of Schedule-IV from column (2) of the said schedule.

(2) The Select list for promotion shall be legally valid up to 31st December of the calendar year in which it is prepared.

Provided that in the event of grave lapse in the conduct or performance of duties on the part of any person included in the select list, a special review of the select list may be made at the instance of the Government and the Commission may, if it thinks fit, remove the name of such person from the select list.

19. **Appointment to the Service from the Select List :**

(1) Appointments of the officers included in the select list shall be made in accordance with the provisions of Chhattisgarh Lok Seva (Promotion) Rule-2003.

(2) It shall not ordinarily be necessary to consult the commission before appointment of a person whose name is included in the select list to the service unless during the period intervening between the inclusion of his name in the select list and the date of the proposed appointment, there occurs any deterioration in his work which, in the opinion of the Government is such as to render him unsuitable for appointment to the service.

(3) **Probation Period :-** Every person promoted to the service shall be appointed on probation for a period of two years.

20. **Interpretation :** If any question arises to the interpretation of these rules, it shall be referred to the Government whose decision thereon shall be final.

21. **Relaxation :** Nothing in these rules shall be construed to limit or abridge the power of the Governor to deal with the case of any person to whom these rules apply in such manner as may appear to it to be just and equivalent :

Provided the case shall not be dealt with in any manner less favourable to him than that provided in these rules.

22. **Saving:** Nothing in these rules affect reservation and other conditions required to be provided for the Scheduled Caste/Scheduled Tribe and Other Backward Classes in accordance with the orders issued by the state Government from time to time in this regard.

23. **Repeal and Saving :** Madhya Pradesh Technical Education (Gazetted) Service Recruitment Rules. 1990 (vide notification No. F1-163-89-XLII-1 dated 13-02-1991) in relation to its extent in the State of Chhattisgarh and all other rules and resolution enforced immediately before their commencement of these rules are hereby repealed in respect of matters covered by these rules.

Provided that any order made or action taken under these rules so repealed shall be deemed to have been made or taken under the corresponding provision of these Rules.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
RAJESH TRIPATHI, Deputy Secretary.

SCHEDULE - I

(See Rule 5)

Polytechnic

Sl. No. (1)	Name of the Post included in service (2)	Total Sanctioned Posts (3)	Classification (4)	Scale of Pay (5)	Remarks (6)
1.	Principal	10	Class-I	16400-20000 (AICTE)	
2.	Head of Department				
	(1) Civil Engg.	04	Class-I	12000-18300 (AICTE)	
	(2) Mechanical Engg.	07	Class-I	12000-18300 (AICTE)	
	(3) Electrical Engg.	05	Class-I	12000-18300 (AICTE)	
	(4) Electronic & Tele. Com Engg.	04	Class-I	12000-18300 (AICTE)	
	(5) Information Technology	03	Class-I	12000-18300 (AICTE)	
	(6) Instrumentation	01	Class-I	12000-18300 (AICTE)	
	(7) Metallurgy	02	Class-I	12000-18300 (AICTE)	
	(8) Mining	01	Class-I	12000-18300 (AICTE)	
	(9) Modern Office Management.	04	Class-I	12000-18300 (AICTE)	Non Technical.
	(10) Costume Design and Dress Making.	02	Class-I	12000-18300 (AICTE)	Non Technical.
	(11) Architecture	01	Class-I	12000-18300 (AICTE)	
	(12) Computer Science and Engineering.	02	Class-I	12000-18300 (AICTE)	
	(13) Pharmacy	01	Class-I	12000-18300 (AICTE)	
	(14) Training and Placement Officer.	02	Class-I	12000-18300 (AICTE)	
	(15) Interior Decoration	01	Class-I	12000-18300 (AICTE)	
3.	Lecturer				
	(1) Civil Engg.	17	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
	(2) Mechanical Engg.	32	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
	(3) Electrical Engg.	23	Class-I	8000-13500 (AICTE)	—
	(4) Electronics & Tele. Com Engg.	24	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
	(5) Information Technology	12	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
	(6) Instrumentation	03	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
	(7) Metallurgy	08	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
	(8) Mining	03	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
	(9) Modern Office Management.	16	Class-I	8000-13500 (AICTE)	Non Technical.
	(10) Costume Design and Dress Making.	06	Class-I	8000-13500 (AICTE)	Non Technical.
	(11) Interior Design and Decoration.	03	Class-I	8000-13500 (AICTE)	Non Technical.
	(12) Architecture	04	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
	(13) Computer Science and Engineering.	14	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
	(14) Pharmacy	05	Class-I	8000-13500 (AICTE)	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	(15) Assistant Workshop Superintendent.	10	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
	(16) Training and Placement Officer.	03	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
	(17) Physics	10	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
	(18) Chemistry	10	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
	(19) English	10	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
	(20) Mathematics	11	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
	(21) Applied Geology	01	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
	(22) Mine Surveying	01	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
	(23) Chemical Engineering.	01	Class-I	8000-13500 (AICTE)	
3A	Lecturer-Senior Scale	All Post included in serial No. 3.	Class-I	10000-15200 (AICTE)	Please see note-2 of Schedule-III.
3B	Lecturer-Selection Grade.	All Post included in serial No. 3A.	Class-I	12000-18300 (AICTE)	Please see note-3 of Schedule-III.

SCHEDULE - II
(See Rule 6)

Polytechnic-Class-I

Sl. No.	Name of Department	Name of Service	No. of Post	Percentage of number of post to be filled			Remarks
				By Direct Recruitment	By Promotion of Substantive Temporary Members of the Service	By Transfer of Persons from other Service	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	Technical Education.	Principal	10	00	100	00	
2.		Head of Department					
		(1) Civil Engg.	04	50	50	00	
		(2) Mechanical Engg.	07	50	50	00	
		(3) Electrical Engg.	05	50	50	00	
		(4) Electronics & Tele. Com Engg.	04	50	50	00	
		(5) Information Technology.	03	50	50	00	
		(6) Instrumentation	01	50	50	00	
		(7) Metallurgy	02	50	50	00	
		(8) Mining	01	50	50	00	
		(9) Modern Office Management.	04	50	50	00	Non Technical.
		(10) Costume Design and Dress Making.	02	50	50	00	Non Technical.
		(11) Architecture	01	50	50	00	
		(12) Computer Science and Engineering.	02	50	50	00	
		(13) Pharmacy	01	50	50	00	
		(14) Training and Placement Officer.	02	00	00	100	By transfer of Lect. (Technical)
		(15) Interior Decoration.	01	50	50	00	
3.		Lecturer					
		(1) Civil Engg.	17	100	00	00	
		(2) Mechanical Engg.	32	100	00	00	
		(3) Electrical Engg.	23	100	00	00	
		(4) Electronics & Tele. Com Engg.	24	100	00	00	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		(5) Information Technology.	12	100	00	00	
		(6) Instrumentation	03	100	00	00	
		(7) Metallurgy	08	100	00	00	
		(8) Mining	03	100	00	00	
		(9) Modern Office Management.	16	100	00	00	Non Technical.
		(10) Costume Design and Dress Making.	06	100	00	00	Non Technical.
		(11) Interior Design and Decoration.	03	100	00	00	Non Technical.
		(12) Architecture	04	100	00	00	
		(13) Computer Science and Engineering.	14	100	00	00	
		(14) Pharmacy	05	100	00	00	
		(15) Assistant Workshop Superintendent.	10	00	00	100	by Transfer of Lecturer Mechanical Engg.
		(16) Training and Placement Officer.	03	00	00	100	by Transfer of Lecturer (Technical)
		(17) Physics	10	100	00	00	
		(18) Chemistry	10	100	00	00	
		(19) English	10	100	00	00	
		(20) Mathematics	11	100	00	00	
		(21) Applied Geology	01	100	00	00	
		(22) Mine Surveying	01	100	00	00	
		(23) Chemical Engineering.	01	100	00	00	

Note : In case of workshop supdt./Asstt. workshop supdt./ T. P. O. which will be filled by transfer by the person as indicated in Schedule- II Column-8 it is clarified that as per the requirement the person may be retransferred to the original/equivalent teaching post. The experience in these post will be treated as equal to the equivalent teaching post.

SCHEDULE - III
(See Rule-8)

Polytechnic

Name of Department	Name of Post	Minimum Age limit	Maximum Age limit	Educational qualification & Experience	Remark
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Education.	Head of Department 1. Civil/ Mechanical/ Electrical/Electronics/ Information Technology/ Instrumentation Metallurgy/ Mining/ Architecture.	-	58 Year	1. Master's Degree in appropriate branch of Engineering/Technology/Technician education along with basic qualification in relevant branch of Engineering/Technology at degree level with first class at Bachelor's or Master's level. 2. Five Years experience in teaching/industry/ research at the level of lecturer or equivalent **Note :-** Candidates from Industry/Profession with a I-Class Bachelor's degree in appropriate branch of Engineering/ Technology and with recognized work equivalent to Master's degree with 5 years experience will also be eligible.	-
	2. Computer Science & Engineering.	-	58 Year	1. Master's degree in Computer Science and Engineering with Bachelor's degree in Computer Science and Engineering with first class at Bachelor's or Master's level. OR 1st Class Master's degree in computer science and Engineering/ Technology with 1st class Bachelor's degree in any area of Engineering/Technology. 2. Five Years experience in teaching/industry/ research at the level of lecturer or equivalent. **Note :-** Candidates from Industry/Profession with a 1st Class Bachelor's degree in Computer Science Engineering and with recognized work equivalent to Master's degree with 5 years experience will also be eligible.	
	3. Modern Office Management (Non-Tech.)	-	58 Year	1. Ph. D. in Commerce from a recognized University/Institute. 2. 5 Years experience of teaching Modern Office Management/Modern Office Practice/ Secretarial Practice & Stenography/ Commercial Practice subject at degree/ diploma level ; out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				teaching in Modern Office Management/ Modern Office Practice/Secretarial Practice & Stenography/Commercial Practice subject at degree/ diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/field/ training/research work.	
	4. Costume Designing & Dress Making (Non-Tech.)	-	58 Year	1. Ph. D. with First class master's degree (M. H. Sc.) in Textile and Clothing from a recognized University/Institute, and 2. 5 Years experience of teaching related subject at degree/ diploma level; out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at degree/diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/ field/training/ research work. OR 1. First class Diploma in Costume Design and Dressmaking of not less than two years duration along with first class Bachelor's degree in any subject from a recognized University/Institute, and 2. 8 (Eight) years experience of teaching related subject at Degree/Diploma level ; out of total experience of 8 years, at least 3 years experience of teaching related subject at degree/diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/ field/training/ research work.	
	5. Interior Design & Decoration (Non-Technical)	-	58 Year	1. First Class Bachelor's Degree in Interior Decoration and Design from a recognized University/Institute. OR First class Diploma in interior Decoration & Design of not less than two years duration along with First Class Bachelor's Degree from a recognized University/Institute. AND 2. 8 Years experience in teaching/Interior Decoration subject at Degree level or out of total experience of 8 years, at least 5 years experience of teaching above subject at Degree /Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/ field/ training/research work.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				OR 1. First Class Master's Degree in Architecture with Interior Decoration and Design subject. along, with Basic Degree in Architecture with Interior Decoration subject from a recognized University/Institute. AND 2. 5 years experience of teaching Interior Decoration at Degree/ Diplom a level or out of total experience of 5 years at least 3 years experience of teaching in above subject at Degree/Diploma level and for the rest of the duration experience in the related subject at appropriate level in industry/ field/training/research work.	
	6. Pharmacy (Technical)	-	58 Year	1. First class Master's degree in Pharmacy along with B. Pharma from a recognized University/Institute. and 5 Years experience of teaching related subject at degree/ diploma level or out of total experience of 5 years, at least 3 years experience of teaching related subject at degree/diploma level and for the rest of the duration experiece in the related subject at appropriate level in industry/ field/training/ research work.	
Technical Education.	Lecturer 1. Civil/ Mechanical/ Electrical/ Electronics/ Information Technology/ Instrumentation/ Mettallurgy/ Mining/ Architecture/ Chemical Engg.	21 Year	35 Year	First class Bachelor's degree in appropriate branch of Engineering Technology. OR First class Masters degree in appropriate branch of Engineering/Technology. **Note :-** No minimum Experience.	
	2. Computer Science & Engg.	21 Year	35 Year	First class Bachelor's/ Master's degree in Computer Science & Engineering. OR First class Masters degree in Computer Science & Engineering/ Technology and 1st class Bachelor's degree in any area of Engineering/Technology. **Note :-** No minimum Experience.	
	3. Lecturer Science & Humanities	21 Year	35 Year	First class Master's degree in relevant subject of Science/Humanities. OR	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
				Master's degree with at least 55% marks or 6.25 CGPA (on a Ten Point Scale) in relevant subject of Science/Humanities. and Qualifying in the national level test (NET) conducted for the purpose by the UGC or equivalent Test (Candidates holding Ph.D Degree are exempted from binding of NET or equivalent Test). Note :- No minimum Experience.	
	4. Modern Office Management.	21 Year	35 Year	First class Master's degree in commerce along with first class diploma of not less then two years in Modern Office Management/Modern Office Practice/ secretarial and Stenography/Commercial Practice from a recognized University/ Institute. **Desirable :-** Diploma/Post Graduate Diploma in Computer Applications of not less than one year duration from a recognized University/Institute. Note :- No minimum Experience.	
	5. Interior Design & Decoration	21 Year	35 Year	1. First class Bachelor's degree in Interior Decoration and Design from a reconized University/Institute. OR First class Diploma in Interior Decoration & Design of not less than two years duration along with First Class Bachelor's Degree from a recognized University/Institute. OR First Class Bachelor's Degree in Architecture with Interior Decoration subject from a recognized University/ Institute. **Note :-** No minimum Experience.	
	6. Pharmacy	21 Year	35 Year	First Class Master's degree in Pharmacy from a recognized University/Institute. (No minimum Experience). OR First class Bechelor's degree in Pharmacy from a recognized University/Institute. along with 3 years experience.	
	7. Costume Designing & Dress Making.	21 Year	35 Year	First class Master's degree (M. H. Sc.) in Textile and Clothing from a recognized University/Institute. OR First Class Diploma in Costume Design and Dress making of not less than two years duration along with first class Bachelor's Degree in any subject from a recognized University/Institute. **Note :-** No minimum Experience.	

Career Advancement : All placement of teachers in career advancement will be on 'in-situ' basis and that will be over and above the sanctioned post of a particular cadre.

Note-1 (a) At the time of recruitment as Lecturer, four and two advance increments will be admissible to those of the science/humanities faculty who hold Ph. D. and M. Phil. Degree respectively ; and to those of the technical faculty who hold Ph. D. and M. E./M. Tech. Degrees respectively.

(b) One increment will be admissible to those Science/Humanities teachers with M. Phil and to those technical faculty with M. E./ M. Tech. who acquire Ph. D. within two years of recruitment.

(c) A lecturer with Ph. D. will be eligible for two-advance increment when it moves into selection grade or appointed as HOD.

(d) A teacher will be eligible for two-advance increment as and when he acquires Ph. D. degree in his service career.

Note-2 A Lecturer will be eligible for placement in senior scale, if he has :-

1. completed 6 years of service on 1st January after regular selection as a Lecturer, with relaxation of 1 year and 2 years for those with M. E./ M. Tech./ M. Phil and Ph. D.
2. attended industrial training/ Winter/Summer Schools or Short-Term Continuning Education Courses of not less than 8 weeks.
3. Consistently good records for the last 3 years.

Note - 3 A Lecturer working as senior scale lecturer will be eligible for placement in Selection grade, if he has :-

1. Completed 5 years in Senior Scale on 1st January of the Selection year.
2. M. E. degree.
3. Consistently good records for the last 5 years.

Note - 4 For the purpose of placement of Lecturer to Lecturer Senior Scale/ Selection Grade the post held will be upgraded, these placement will be made through a process of screening by a committee whose member will be as follows :-

1.	Secretary, Technical Education	Chairman
2.	Director, Technical Education	Member
3.	Two principal of Government Polytechnic	Member
4.	Representative of SC/ST-	Member

SCHEDULE - IV
(See Rule 14-15)

Polytechnic

Department	Name of Service or Post from which promotion will be made	Period of eligibility	Name of Service or Post to which promotion will be made and required educational qualification and experience		Member of committee for departmental promotion
			Name of Post	Educational qualification and experience	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Technical Education.	1. Head of Department (Engg./Tech.)	3 Year	Principal	1. Master's Degree in appropriate branch of Engineering/Technology with basic qualification in relevant branch of Engineering/Technology at degree level with First Class either at Bachelor's or Master's level. 2. 15 years experience in teaching/industry/ Research out of which 3 years must be at HOD level. OR 1. Ph. D. in Engg./Tech./ Technician Education. 2. 10 years experience in teaching out of which 3 years must be at HOD level.	1. Chairman of Public Service Commission or his Nominee - Chairman. 2. Additional Chief Secretary/Chief Secretary/ Secretary Member. 3. Director of Technical Education-Member.
	2. Lecturer	5 Year	Head of Department	As shown in column (5) of Schedule-III.	- do -

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2006.